## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर　　　　दिनांक 25.07.2025**

# थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 604/2025 धारा 109(1)/3(5)/351(2)/115(2)/118(1)/333/352/117(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 09.07.2025 वादी वसीम पुत्र यामीन नि0 ग्राम मुकीमपुर धर्मसी उर्फ खेडा थाना को0 शहर बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि गांव के ही रहने वाले अभियुक्त 1.लियाकत पुत्र मुन्ने 2.इमरान पुत्र लियाकत 3.सलीम पुत्र शब्बीर व 4.सुबहान पुत्र रियासत द्वारा पुरानी रंजिश के कारण वादी के भाई मोमीन व पिता यामीन के साथ गाली – गलौच व जान से मारने की नियत से लाठी - डण्डो से मारपीट की, जिससे वादी के पिता व भाई को चोटे आयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर को मु0अ0सं0 604/2025 धारा 109(1)/3(5)/351(2)/115(2)/118(1)/333/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 117 (2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

**कार्यवाहीः-**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इमरान पुत्र लियाकत नि0 ग्राम मुकीमपुर धर्मसी उर्फ खेडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त डण्डे सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

इमरान पुत्र लियाकत नि0 ग्राम मुकीमपुर धर्मसी उर्फ खेडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

**बरामदगीः-**

घटना में प्रयुक्त डण्डा।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1.उ0नि0 धर्वेन्द्र शर्मा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.का0 1596 शमीम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट - थाना बढापुर** **दिनांक 25.07.2025**

**थाना बढापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 119/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/132/121(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व धारा 26/41/42 भारतीय वन अधि0 में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त पिकअप गाडी, प्रतिबंधित खैर की लकडी,लकडी काटने के उपकरण व अवैध शस्त्र/कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है।**

### संक्षिप्त विवरण –

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 21.07.2025 को वादी श्री विकास कुमार, वनरक्षक, साहूवाला रेंज बढापुर ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि वनपुलिसकर्मियों की टीम ग्राम मदपुरी में नदी के किनारे राजकीय कन्या इंटर कालेज मदपुरी के सामने पहुँचे तो जंगल की ओर से सामने से आती हुयी एक पिकअप गाडी (यूपी23एटी7327) दिखाई दी । प्रतिबंधित लकडी होने का शक होने पर वनपुलिसकर्मियो द्वारा रूकने का इशारा किया तो गाडी नही रूकी व गाडी वालों ने मिलकर गाली गलौच करते हुये सरकारी कार्य में बाधा डालते हुये जान से मारने की नियत से फायर किया और तेजी से गाडी लेकर भागने लगे, जिसमें खैर की लकडी भरी थी। गाडी को पुनः रोकने का प्रयास एवं पीछा किया तो अभियुक्तगण गाडी को छोडकर भाग गये। जैसे ही वनपुलिसकर्मी द्वारा गाडी व अवैध लकडी को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगण 1- कृपाल सिंह पुत्र सुरजन सिंह 2- छिन्दर पुत्र कृपाल उर्फ पाला 3- दीपक पुत्र डंपी 4- सुखविन्दर पुत्र शेर सिंह निवासी गण ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर व अन्य अज्ञात व्यक्ति मौके पर आ गये, जिन्होने पुनः गाली गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से फायर किया और गाडी व प्रतिबंधित लकडी लेकर भाग गये।

तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 119/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/132/121(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व धारा 26/41/42 भारतीय वन अधि0 बनाम 10 नफर नामजद व 50-60 अज्ञात पंजीकृत किया गया।

**नोट- दिनांक 24.07.2025 को 02 अभियुक्तगणो कृपाल सिंह पुत्र सुरजन सिंह व रानाकौर उर्फ भजनकौर पत्नी डमपी उर्फ अमरजीत सिंह निवासीगण ग्राम मदपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।**

**कार्यवाही-**

आज दिनांक 25.07.2025 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इकरार उर्फ भूरा पुत्र फुरकान अहमद निवासी मौ0 हलवाईयान थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त इकरार उर्फ भूरा से की गई पूछताछ में उसने बताया कि वह साहूवाला वन क्षेत्र से खैर की लकड़ी को रात्रि के समय चोरी-छिपे वाहन के माध्यम से ले जाने का कार्य करता है। दिनांक 20.07.2025 को उसके द्वारा मदपुरी गांव के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर खैर की लकड़ी पिकअप वाहन सं0 UP23AT7327 में लादकर ले जाई जा रही थी, तभी वन विभाग की टीम द्वारा जंगल में घेराबंदी कर ली गई। इस दौरान अभियुक्त के साथियों द्वारा वन विभाग की टीम के साथ गाली-गलौच की गई तथा उसके साथी छिन्दर द्वारा फायरिंग की गई। बाद में वे उक्त गाड़ी को लकडी सहित लेकर फरार हो गए तथा उसे जंगल में छिपाकर वहां से भाग निकले।

पूछताछ में अभियुक्त ने ये भी बताया कि आज दिनांक 25.07.2025 को वह उक्त गाड़ी को खैर की लकड़ी सहित जंगल से चुपचाप निकालकर ले जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

इकरार उर्फ भूरा पुत्र फुरकान अहमद निवासी मौ0 हलवाईयान थाना नहटौर जनपद बिजनौर

**बरामदगी-**

1.घटना में प्रयुक्त पिकअप गाडी (UP23AT7327)

2.प्रतिबंधित खैर की लकडी के 13 गट्टे

3.लकडी काटने हेतु लोहे का आरा

4.एक तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर

**आपराधिक इतिहास इकरार उपरोक्त-**

मु0अ0सं0 119/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/132/121(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व धारा 26/41/42 भारतीय वन अधि0

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1.प्रभारी निरीक्षक श्री मृदुल कुमार सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 श्री सिनोद कुमार, थाना बढापुर (बिजनौर)

4.आरक्षी 1922 श्याम कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

5.आरक्षी 50 मुकुल थाना बढापुर जनपद बिजनौर

6.आरक्षी 1140 अकित थाना बढापुर जनपद बिजनौर

7.आरक्षी 1107 सुधीर थाना बढापुर जनपद बिजनौर